

कलेक्टर
11.2
सांभर
14/6

15-09-22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित हैं। वकील प्रार्थी को न्यायालय में आज पृथक पृथक सत्र पर तीन-तीन बार आवाजें लगावनी गयीं। धावजूद आवाजें लगवाने के उपरान्त भी पत्रावली में प्रार्थी हजरि नहीं भाये। मूल वाद अन्तर्गत आदेश-9 त्रिपत्र-3 जाफा दीवानी के तहत अदम हाजरी व अदम पैरवी में एमदहारा श्वारिज किया जा चुका है अतः प्रार्थना-पत्र न.ई श्वारिज की गयी है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर है। आदेश शुले न्यायालय में सुनाया गया। मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

(सहायक कलेक्टर)
सांभर लोक (जयपुर)

